प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

पीठ :- **माननीय न्यायामूर्ति श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति तथा,**

माननीय न्यायामूर्ति श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश.

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 915 वर्ष 2008

अपीलकर्ता : **श्रीमती रजनी बाई निषाद, आयु 54 वर्ष,**

(दावाकर्ता) **पति - स्वर्गीय झाड़ीराम निषाद,**

जाति – केवट (मछुवारा),

निवासी – ग्राम बरबसपुर,

थाना – महासमुंद,

तहसील एवं जिला – महासमुंद (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरदातागण : 1. **गौतम सिंह यादव, आयु 33 वर्ष,**

(दावाकर्तागण) **पिता – श्री मिलोऊ राम यादव,**

निवासी – स्टेशनपारा, महासमुंद,

थाना – महासमुंद,

तहसील एवं जिला – महासमुंद (छ.ग.)

(वाहन क्रमांक C.G.04/E/0524 मिनी बस के चालक)

2. **देमन लाल चंद्राकर, आयु 42 वर्ष,**

पिता – श्री प्रेमलाल चंद्राकर,

निवासी – ग्राम चट्टौना,

थाना एवं तहसील – आरंग,

जिला – रायपुर (छ.ग.)

(वाहन क्रमांक C.G.04/E/0524 मिनी बस के स्वामी)

3. **द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय/मंडल कार्यालय द्वारा, शाखा कार्यालय – मदीना बिल्डिंग, जेल रोड, रायपुर, जिला – रायपुर (छ.ग.)**

(वाहन क्रमांक C.G.04/E/0524 मिनी बस के बीमाकर्ता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत दायर अपील</u>

<u>उपस्थित:-</u> अपीलार्थी की ओर से श्री जे.ए. लोहानी, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि समन की तामीली विधिवत रूप से हो चुकी है ।

उत्तरदातागण क्रमांक 3 की ओर से श्री शिवेन्दु पाण्ड्या, अधिवक्ता।

// आदेश //

(दिनांक : 17 जून, 2011)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता, द्वारा पारित किया गया।

01. स्वर्गीय झाड़ीराम निषाद की दुर्भाग्यग्रस्त विधव, इस अपील में हमारे समक्ष एकमात्र अपीलार्थी हैं, जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महासमुंद (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दिनांक 18.04.2007 को दावा प्रकरण क्रमांक 36/2006 में पारित *प्रतिकार आदेश* के विरुद्ध प्रदत्त प्रतिकर राशि में वृद्धि हेतु यह अपील दायर की है।

02. अपीलार्थी, स्वर्गीय झाड़ीराम निषाद की दुर्भाग्यग्रस्त विधवा ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका प्रस्तुत कर दिनांक 23.06.2006 को हुई मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए ₹18,10,000/- की प्रतिकर का दावा किया था। इसके विरुद्ध अधिकरण ने कुल ₹1,24,000/- की प्रतिकर राशि, तथा दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज सहित, प्रदान किया गया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

03. अधिकरण ने उसके समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का गहन परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 23.06.2006 को हुई मोटर दुर्घटना में प्राप्त चोटों के कारण स्वर्गीय झाड़ीराम निषाद की मृत्यु हुई; उक्त दुर्घटना वाहन क्रमांक C.G.-04/E-0524 मिनीबस के चालक की लापरवाही एवं तेज़/असावधान ड्राइविंग के कारण घटित हुई; चूँकि दुर्घटना की तिथि को उपर्युक्त वाहन द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित था और बीमा कंपनी पॉलिसी की किसी भी शर्त का उल्लंघन सिद्ध नहीं कर सकी, अतः बीमा कंपनी दवाकर्ता को प्रतिकर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

04. चूँकि उत्तरदातागण ने उक्त निर्धारण/आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अधिकरण द्वारा अभिलिखित उपर्युक्त निष्कर्ष अब अंतिम रूप से स्थापित हो चुके हैं।

05. अधिकरण ने मृतक की आय ₹50 प्रतिदिन; अर्थात् ₹1,500 प्रतिमाह आंकी। मृतक के निजी खर्च हेतु ₹1,500 में से 1/3 भाग घटाकर दवाकर्ता की पराश्रितता ₹1,000 प्रतिमाह तथा ₹12,000 प्रतिवर्ष निर्धारित की गई। वार्षिक पराश्रितता ₹12,000 को 10 के गुणांक से गुणित कर प्रतिकर की राशि ₹1,20,000 निर्धारित की गई। तदोपरान्त अंतिम संस्कार व्यय के लिए ₹2,000 तथा विधवा को 'साहचर्य की हानि' हेतु ₹2,000 अतिरिक्त प्रदान कर, अधिकरण ने कुल ₹1,24,000 की प्रतिकर राशि मृतक झाड़ीराम निषाद की मृत्यु के प्रतिकरस्वरूप दवाकर्ता को प्रदान की। अधिकरण ने आगे यह भी निर्देश दिया कि उक्त ₹1,24,000 की प्रतिकर राशि पर दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज देय होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06. अपीलार्थी की ओर से श्री जे.ए. लोहानी, अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने मृतक की आय संबंधी दवाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अस्वीकार कर त्रुटि की है तथा मृतक की आय मात्र ₹50 प्रतिदिन एवं ₹1,500 प्रतिमाह आंकने में भी त्रुटि की है; साथ ही कम गुणांक (मल्टीप्लायर) '10' का चयन कर तथा मात्र ₹1,24,000 की अल्प प्रतिकर राशि प्रदान कर भी न्यायिक भूल की है।

07. प्रतिवादी क्रमांक 3 — द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो दुर्घटना कारित करने वाले मिनीबस का बीमाकर्ता है—की ओर से श्री शिवेन्दु पाण्ड्या, अधिवक्ता ने, दूसरी ओर, अधिकरण के निर्णय का समर्थन करते हुए यह प्रतिवाद किया कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,24,000 की प्रतिकर इस प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायोचित एवं समुचित है।

08. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिकर का प्रमुख उद्देश्य यह है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप 'न्यायोचित एवं उपयुक्त' प्रतिकर प्रदान की जाए। यह प्रतिकर न तो अत्यल्प होनी चाहिए और न ही किसी प्रकार का 'अनुचित लाभ' प्रदान करने वाली होनी चाहिये ।

09. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,24,000 की प्रतिकर राशि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उपयुक्त है या नहीं।

10. निस्संदेह, दवाकर्ता ने यह अभिकथन किया था कि उसके पति झाड़ीराम निषाद मछली बेचकर प्रतिदिन ₹100 कमाते थे, तथापि अधिकरण ने मृतक की आय ₹50 प्रतिदिन तथा ₹1,500 प्रतिमाह आंकी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दवाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मृतक की आय संबंधी साक्ष्य को अस्वीकार करते हुए, अधिकरण को चाहिए था कि वह मोटरयान अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट काल्पनिक आय के आधार पर मृतक की आय का आकलन करता।

12. अधिनियम की धारा 163-ए, जिसके अंतर्गत द्वितीय अनुसूची वर्ष 1994 में सम्मिलित की गई थी, इस प्रकार वाचन करती है :-

163-ए. संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के बारे में विशेष प्रावधान.- (1) इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून या विधि का बल रखने वाले उपकरण में किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसी भी स्थिति हो, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'स्थायी विकलांगता' का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दवाकर्ता को यह अभिवचन देने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता, जिसके संबंध में दावा किया गया है, संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) केन्द्रीय सरकार जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकेगी।

13. उपर्युक्त धारा 163-ए की उपधारा (3) ने केंद्र सरकार पर यह दायित्व अधिरोपित किया है कि वह जीवन-यापन की लागत को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय अनुसूची में समय-समय पर संशोधन करती रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. चूँकि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 163-ए की उपधारा (3) में प्रदत्त अनुसार द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, इसलिए न्यायालय/अधिकरण यह न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची के अधिनियमन से लेकर संबंधित प्रकरण में दुर्घटना की तिथि तक के अंतराल में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों तथा जीवन-यापन की लागत में वृद्धि हुई है।

15. अब वर्तमान प्रकरण की ओर लौटते हुए, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें दवाकर्ता के पति झाड़ीराम निषाद की मृत्यु हुई, वर्ष 2006 में घटित हुई थी। यदि वर्ष 1994 से वर्ष 2006 के मध्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों तथा जीवन-यापन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट ₹15,000 की काल्पनिक आय

वर्ष 2006 में निश्चित रूप से बढ़कर ₹36,000 प्रतिवर्ष हो जाती। अतः हम मृतक की आय ₹36,000 प्रतिवर्ष मानते हुए प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव रखते हैं।

16. चूँकि मृतक की आय पर आश्रित परिवार में केवल दो ही सदस्य थे—स्वयं मृतक और उनकी पत्नी, जो इस प्रकरण में एकमात्र दवाकर्ता हैं, अर्थात् श्रीमती रजनी बाई निषाद—अतः मृतक के निजी व्ययों हेतु उसकी आय का 50% घटाया जाना उपयुक्त होगा। इसलिए हम मृतक की वार्षिक आय ₹36,000 में से 50% घटाकर, दवाकर्ता की पराश्रितता ₹18,000 प्रतिवर्ष निर्धारित करते हैं।

17. दावा याचिका में मृतक झाड़ीराम निषाद की आयु 56 वर्ष दर्शाई गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सारला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 SCC 121*** में प्रतिपादित विधि के अनुसार, 56–60 वर्ष आयु-वर्ग हेतु 9 का गुणांक निर्धारित किए जाने के कारण, वर्तमान मामले में 9 का मल्टीप्लायर उपयुक्त होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वार्षिक पराश्रितता ₹18,000 को 9 के गुणांक से गुणित करने पर प्रतिकर राशि ₹1,62,000 प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त दवाकर्ता अंतिम संस्कार व्यय हेतु ₹5,000; संपत्ति की हानि हेतु ₹5,000; तथा विधवा को साहचर्य हानि हेतु ₹5,000 प्राप्त करने की पात्र है। इस प्रकार दवाकर्ता अपने पति झाड़ीराम निषाद की मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के प्रतिकरस्वरूप कुल ₹1,77,000 की प्रतिकर राशि प्राप्त करने की हकदार होती है।

19. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह प्रस्तुत किया कि अधिकरण के समक्ष इस बात को लेकर किसी प्रकार का संभावित विवाद उत्पन्न न हो कि दवाकर्ता बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर किस अवधि के लिए ब्याज प्राप्त करने की पात्र है, अतः इस अपील में ही बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर देय ब्याज की राशि का परिमाणीकरण कर दिया जाए।

20. विवाद के सभी प्रासंगिक पहलुओं—जिसमें दावा याचिका तथा वर्तमान अपील के निराकरण में हुई विलंब अवधि और यह तथ्य कि सम्पूर्ण विलंब के लिए केवल बीमा कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता—को ध्यान में रखते हुए, हम बढ़ी हुई प्रतिकर राशि ₹53,000 पर देय ब्याज की राशि ₹7,000 निर्धारित करते हैं।

21. उपर्युक्त कारणों से, अपीलार्थी/दवाकर्ता द्वारा प्रतिकर राशि में वृद्धि हेतु दायर की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,24,000 की प्रतिकर राशि को बढ़ाकर ₹1,77,000 किया जाता है तथा बढ़ी हुई प्रतिकर राशि ₹53,000 पर ₹7,000 की परिमाणित ब्याज राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है।

22. उत्तरदातागण क्रमांक 3—द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड—को यह निर्देश दिया जाता है कि वह कुल ₹60,000 (₹53,000 बढ़ी हुई प्रतिकर राशि + ₹7,000 बढ़ी हुई प्रतिकर राशि ₹53,000 पर परिमाणित ब्याज) संबंधित दावाअधिकरण के समक्ष जमा करने हेतु तीन माह का समय प्रदान किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Adv. Rahul Krishna Sahu.....